

**न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या: 174 / 2024 / सरफैसी

बैंक ऑफ बडौदा शाखा कार्यालय-आई ई एसएसआई, सुखेर, एनएच 8, उदयपुर (राज.) 313001

.....प्रार्थी

**बनाम**

**1. मैसर्स लाल बाग होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्ट्स**

**65, लाल निवास, दौलत चेम्बर्स के पास, सरदारपुरा, उदयपुर, राजस्थान पार्टनर्स-**

1. श्रीमती भूपिन्दर सहगल, पत्नी श्री सुरिन्दर कुमार सहगल पता- 130-133, प्रियदर्शिनी नगर, बेदला, उदयपुर, राजस्थान।
2. श्री अंकित व्यास पुत्र श्री एम डी व्यास पता- एल-301, लवकुश अपार्टमेन्ट, फतहपुरा, उदयपुर।
3. श्री देवदीप सिंह शक्तावत पुत्र श्री धनपाल शक्तावत पता-7-ए ब्लॉक, आर.एच.बी. कॉलोनी, सेक्टर 9, उदयपुर।

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**



**उपस्थित: श्री राम निवास स्वामी अधिकृत बैंक प्रार्थी**

**आदेश**

दिनांक 30.12.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को कुल ऋण राशि 19.00 लाख रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (सुरिन्दर कुमार सहगल पुत्र श्री ज्ञानचंद सहगल के नाम साम्यिक बंधक दिनांक 18.08.2015 व्यावसायिक कार्यालय सं. 303, प्रथम तल, मिड टाउन बिजनेस सेन्टर, न्यू उदियापोल स्कीम, बस स्टेण्ड के पीछे, गन्दे नाले के पास, उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 165 वर्गफीट है। जिसकी सीमाएं पूर्व में: खुली गेलेरी, पश्चिम में: प्लॉट नंबर 1 ए. उत्तर में: कार्यालय सं. 304, दक्षिण में: कार्यालय सं. 302 स्थित है) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी

11

**जिला कलक्टर  
उदयपुर**

अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 13.02.2023 तक 19,25,219.82/- रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को कुल ऋण राशि 19.00 लाख रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 13.02.2023 तक 19,25,219.82/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यो के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद दाद (सुरिन्दर कुमार सहगल पुत्र श्री ज्ञानचंद सहगल के नाम साम्यिक बंधक दिनांक 18.08.2015 व्यावसायिक कार्यालय सं. 303, प्रथम तल, मिड टाउन बिजनेस सेन्टर, न्यू उदियापोल स्कीम, बस स्टेण्ड के पीछे, गन्दे नाले के पास, उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 165 वर्गफीट है। जिसकी सीमाएं पूर्व में: खुली गेलेरी, पश्चिम में: प्लॉट नंबर 1 ए, उत्तर में: कार्यालय सं. 304, दक्षिण में: कार्यालय सं. 302 स्थित है) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल )  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर